

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आजा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 803 /2021

दिनांक : 26.03.2021

श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को दिनांक 15.03.2021 से 17.03.2021 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 11.03.2021 से 14.03.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ठ न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर के पद पर ही की गई ।

आजा से
26/3/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/22/2013/ 1990

दिनांक : 26.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर को उनके पत्रांक 21 दिनांक 18.03.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री रामेश्वर प्रसाद चौधरी (RJ0180), विशिष्ठ न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर ।
4. विशिष्ठ न्यायाधीश, (सी.बी.आई.) केसेज जोधपुर ।

26/3/21
सहायक रजिस्ट्रार